<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी : चन्द्रशेखर

मिसल नं.– 34/2024

सरकार बनाम सत्येन्द्र पुत्र होशियार सिंह जाति जाट

निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 21.05.2022

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सत्येन्द्र पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी द्वारा रोही मौजा झाझड़ियों की ढ़ाणी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 53 के कुल रकबा 5.32 है. किस्म गै. मु. जोहड़ में से 0.01 है. भूमि पर उपले,पुल्ले छड़ी उपले, डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया । गैर सायल ने हाजिर होकर प्रत्युत्तर पेश किया जिसमें गैर सायल ने अतिक्रमण हटा लेना बताया जिसके पटवार हल्का से पुनः मौका जॉच रिपोर्ट करवाई जिसमें अतिक्रमण वर्तमान स्थिति तलक होना पाया गया अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।।पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे।मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजा/349
22/5/24

(चन्द्रशेखर)

तहसीलदार, सूरजगढ़

RajKaj Ref
7429826

Signature valid

Digitally signed by Chander Shekhar
Designation : Tehsildar
Date: 2024.05.23 1?:25:35 IST
Reason: Approved